आज दिनांक–26.05.2015 समदानाला बंदरगाह निर्माण के संबंध में प्रभावित ग्रामीणों के साथ उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित ग्रामीण/पदाधिकारी उपस्थित हुए :–

उपस्थित पदाधिकारी का नाम :–

1. उपायुकत, साहेबगंज।
2. अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज।
3. भूमि सुधार उपमाहर्त्ता –सह– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज।
4. अंचल अधिकारी, साहेबगंज।
5. शंकर प्रसाद महतो, अंचल अमीन, साहेबगंज।
6. अजय शंकर चौधरी, राजस्व कर्मचारी, साहेबगंज।
7. चांदो चौधरी, अंचल जमीन पतना।
8. बबलू मालतो, अंचल अमीन बरहड़वा।
9. दशमत मुर्मू, अंचल निरीक्षक, साहेबगंज।
10. राजेन्द्र साह, राजस्व कर्मचारी, साहेबगंज।

उपस्थित ग्रामीणों का नाम :–

1. राजीव रंजन
2. दिनेश कुमार यादव
3. गणेश यादव
4. जवाहर यादव
5. रमेश चौधरी
6. प्रकाश चौधरी

प्रस्ताव संख्या–01

उपस्थित ग्रामीणों में से श्री राजीव रंजन, पिता–श्री विरेन्द्र यादव, मौजा–रामपुर ने सुझाव दिया कि अधिग्रहण किये जाने वाले भूमि के बगल में कुछ सरकारी जमीन एवं रैयती जमीन है, उसपर प्रभावित व्यक्तियों को पुर्नवास करने से ग्रामीणों को सुविधा होगी।

प्रस्ताव संख्या–02

उपस्थित ग्रामीणों द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि प्रभावित व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति गंगा नदी के किनारे जो समदानाला बस्ती से सटा हुआ है, उस स्थान पर खाली पड़े परती जमीन पर पुर्नवासित होना चाहते है।

प्रस्ताव संख्या–03

बंदरगाह नहीं बनने की स्थिति में अधिग्रहित भूमि पुनः संबंधित रैयतों को वापस होना चाहिए।

प्रस्ताव संख्या–04

बंदरगाह बनने पर बंदरगाह पर होने वाले कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

ग्रामीणों के द्वारा रखे गए प्रस्ताव के संबंध में उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि उनकी मांगों को गंभीरतापूर्वक विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। भू–अर्ज़न से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए समुचित मुआवजा एवं नियमानुसार अन्य सुविधाएं दी जाएगी। प्रभावित व्यक्तियों को पुर्नवासित करने में ग्रामीणों के सुझाव पर अमल करते हुए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी।

ग्रामीणों द्वारा पुर्नवासित करने के संबंध में दिए गए सुझाव से संबंधित स्थलों एवं अन्य उपयुक्त स्थलों की जाँच कर भूमि से संबंधित सु–स्पष्ट प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर देने का निदेश अंचल अधिकारी, साहेबगंज/तालझारी को दिया गया।

इस बैठक की कार्यवाही की प्रति भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भागलपुर को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त महोदय द्वारा उपस्थित ग्रामीणों से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में पूर्ण सहयोग करने का अनुरोध किया, उपायुक्त महोदय के अनुरोध पर ग्रामीणों पूर्ण सहयोग करने का वचन दिया।

सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह0–
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक..........75........../भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक ....26.05.15........

प्रतिलिपि :– ऑफिसर इंचार्ज, श्री प्रशांत कुमार, भारतीय अंर्तदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, साहेबगंज/तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता हैं कि भू–अर्जन से संबंधित सभी वांछित प्रतिवेदन व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अविलम्ब प्रतिवेदन देना सुनिश्चित किया जाय।

26/5
उपायुक्त,
साहेबगंज।

सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–374/नि0रा0 रांची, दिनांक–10.04.2005 के आलोक में आज दिनांक–21.05.2015 को भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–45 के आलोक में परियोजना स्तर पर पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन समिति का गठन हेतु उपायुक्त, साहेबगंज की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. उपायुक्त, साहेबगंज (अध्यक्ष)।
2. अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज (सदस्य सचिव)।
3. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज (सदस्य)।
4. प्रशांत कुमार (ऑफिसर इंचार्ज अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) सदस्य।
5. एल0डी0एम0, साहेबगंज (सदस्य)।
6. रिंकी देवी, मुखिया (प्रभावित क्षेत्र के महिला प्रतिनिधि) सदस्य।
7. उपेन्द्र रविदास (प्रभावित क्षेत्र के अ0ज0 का प्रतिनिधि) सदस्य।
8. रामजतन मुण्डा (प्रभावित क्षेत्र के अ0ज0जा0 का प्रतिनिधि) सदस्य।
9. उषा खालखो (प्रभावित क्षेत्र के पंचायत अध्यक्ष/नामित व्यक्ति) सदस्य।
10. अनिल कुमार गोंड (पंचायत के नामित व्यक्ति) सदस्य।
11. पशुपति प्रसाद गोंड (अनु0 ज0 जा0 के सदस्य) सदस्य।
12. सुरभि देवी, मुखिया (महिला सदस्य)।

कार्यवाही का विवरण :–

प्रस्ताव संख्या–01

उपायुक्त महोदय द्वारा सरकार के पत्रांक–374/नि0रा0, दिनांक–10.04.2015 के आलोक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए जिसमें से क्रमशः :–

1. भू–अर्जन से प्रभावित क्षेत्र के महिला प्रतिनिधि के रूप में रिंकी देवी, मुखिया ग्राम–हाथीगढ़ को नामित किया गया
2. अनु0 जाति के सदस्य के रूप में उपेन्द्र रविदास,
3. अनु0 ज0 जा0 के प्रतिनिधि के रूप में, रामजतन मुंडा एवं पशुपति प्रसाद गोंड,
4. राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रतिनिधि के रूप में एल0डी0एम0, साहेबगंज,
5. पंचायत अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार गोंड,
6. अर्जनकारी निकाय का प्रतिनिधि प्रशांत कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भागलपुर एवं
7. महिला सदस्य–सुरभि देवी, मुखिया को नामित किया गया।

इसके अतिरिक्त सभी पदेन सदस्य, जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, माननीय, सांसद, राजमल लोक सभा क्षेत्र, माननीय विद्यायक, राजमहल विधान सभा क्षेत्र एवं माननीय विद्यायक, बोरियो विधान सभा क्षेत्र तथा अन्य संबंधित पदाधिकारियों को विशेष रूप से भविष्य में पुर्नवासन तथा पुर्नव्यवस्थापन से संबंधित बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों से क्षेत्र में होने वाले भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित सहयोग करने का अनुरोध किया गया। जिसपर उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति प्रकट करते हुए पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। इस बैठक की कार्यवाही की प्रति सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रांची एवं सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

21/05

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 72 /भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 21.05.15

प्रतिलिपि :– सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सदस्यों/अंचल अधिकारी, साहेबगंज एवं अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ प्रेषित।

21/05

उपायुक्त,
साहेबगंज।